राजस्थान मंत्रमिण्डल की बैठक में लयि गए महत्त्वपूर्ण नरि्णय

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रमिंडल की बैठक आयोजति हुई, जसिमें कार्मकिों के हति में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्त्वपूर्ण नरि्णय लयि गए।

प्रमुख बदिु

- मंत्रमिंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पेंशन) नयिम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा है। इससे कार्मकि को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूरण कर सेवानवृित्त होने पर ही पूरण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारवारिकि पेंशनर को 10 प्रतशित अतरिकि्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मकि/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके ववािहति नःिशक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपए प्रतमिाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारवारिकि पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधसिूचना दनिांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
- मंत्रमिंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीक्षति वेतन) नयिम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा है। इससे कार्मकिों के वशिेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जसिके अनुसार कर्मचारयिों तथा अधकिारयिों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन वसिंगति परीक्षण समति की अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि कयिा जाना प्रस्तावति था।
- मंत्रमिंडल ने अब कसिी भर्ती वर्ष में पछिड़ा वर्ग और अति पछिड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थति में इनकी रकि्तयिाँ अनुसूचति जाति एवं अनुसूचति जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषति करने का नरि्णय लयिा है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थयिों को रोज़गार के अधकि अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- मंत्रमिंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीक्षति वेतन) नयिम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरषि्ठ चकित्सिा अधकिारयिों को पीजी डगि्री या समकक्ष डप्लिोमा होने पर अग्रमि वेतन वृद्धयिों का पूरण लाभ देने का नरि्णय कयिा गया है। इसमें वरषि्ठ चकित्सिा अधकिारी से उच्च पदों के लयि अग्रमि वेतन वृद्धयिों का प्रावधान होने के कारण उच्च अधकिारयिों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- बैठक में राजस्थान अभयिोजन सेवा (संशोधन) नयिम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभयिोजन सेवा के अधकिारयिों को एक अतरिकि्त पदोन्नति का अवसर देने का नरि्णय कयिा गया है।
- राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीक्षति वेतनमान) नयिम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारति कार्मकिों को नयिमति कार्मकिों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का नरि्णय कयिा गया है।
- मंत्रमिंडल ने कार्मकि वभिाग की अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति की रकि्तयिों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधसिूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नयिम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नयिम-2001, राजस्थान मदरसा शकि्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नयिम-2013 और राजस्थान वद्यिालय सहायक अधीनस्थ सेवा नयिम-2015 को शामलि करने का नरि्णय कयिा है।
- मंत्रमिंडल ने आयुर्वज्ञिान महावद्यिालय दौसा का नामकरण 'पं नवल कशिोर शर्मा आयुर्वज्ञिान महावद्यिालय दौसा' कयि जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडति नवल कशिोर शर्मा की प्रतमिा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। पंडति नवल कशिोर शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के वकिास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- मंत्रमिंडल ने वीर गुर्जर वकिास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटति करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-rajasthan-cabinet-meeting